सूचना का अधिकार/अति महत्वपूर्ण/आज ही

संख्या RTI-561(1)/आठ–8–23–01सूचना/2023

प्रेषक,

किशलय सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष/अध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश
(आगरा, वाराणसी, हापुड़, उन्नाव विकास प्राधिकरण एवं चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को छोड़कर)।

2. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ।

3. निदेशक,
नगर भूमि सीमारोपण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4. सचिव,
रेरा, लखनऊ।

5. निदेशक,
आवास बन्धु,
उ0प्र0 लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8 लखनऊ : दिनॉक: 16 नवम्बर, 2023

विषयः– उत्तर प्रदेश सूचना आयोग लखनऊ में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) द्वारा बनाये जा रहे साफ्टवेयर हेतु उत्तर प्रदेश शासन के सभी विभागों में नोडल अधिकारी नामित किये जाने व उनका विवरण उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या : RTI-545/आठ–8–23–01सूचना/2023 दिनांक 07.11.2023 एवं अनुस्मारक पत्र संख्या–RTI-550/आठ–8–23–01सूचना/2023 दिनांक 09.11.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में अपने–अपने अभिकरणों में नोडल अधिकारी नामित करते हुए उनका विवरण विहित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग की ईमेल आई0डी0–webmaster-upic@up.gov.in पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने के साथ ही कृत कार्यवाही की सूचना शासन को भी समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे, जो कि अभी तक अप्राप्त हैं।

2. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के संदर्भगत पत्र दिनांक 07.11.2023 एवं 09.11.2023 में दिये गये निर्देशानुसार अपने–अपने अभिकरणों में नोडल अधिकारी नामित करते हुए उनका विवरण वांछित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग की उपरांकित ई–मेल आई.डी./निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 तथा इस अनुभाग की ई–मेल आई.डी. पर प्रत्येक दशा में समयबद्ध रूप से आज ही उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने के साथ ही कृत कार्यवाही की सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों से आच्छादित है, अतः व्यक्तिगत ध्यान व समयबद्धता अपेक्षित है।

भवदीय,

(किशलय सिंह)
अनु सचिव।

B.GO RTI.2022

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उप सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग आर0टी0आई0 भवन, 7/7/विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को उक्तानुसार मा0 मुख्य सूचना आयुक्त महोदय को अवगत कराये जाने हेतु।
2. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में उक्तानुसार सूचना प्राप्त कर संकलित सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2,3,5,6 एवं 7, उत्तर प्रदेश शासन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया स्वयं से संबंधित अभिकरणों को स्वस्तर से उक्तानुसार निर्देशित कर सूचना आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8 एवं मा0 राज्य सूचना आयोग को उपलब्ध करायें।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(किशलय सिंह)
अनु सचिव